

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तराखण्ड की 04-बद्रीनाथ विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी.

पता- ग्राम-नैल-ऐथा, पोस्ट-त्रिशूला, तहसील-पोखरी, हाल विवेकानन्द कालोनी हल्दापानी गोपेश्वर, जिला चमोली जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- रा0स्ना0महा0 गोपेश्वर।

दिनांक- 10 मार्च, 2022

Abhinav
रिटर्निंग आफिसर आफिसर
04 बद्रीनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, चमोली
उप जिलाधिकारी

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **4-Badrinath** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Rajendra Singh Bhandari

village- nail-etha, post-trishula, tehsil- pokhari, p.add-vivekanand colony gopeshwar , district- chamoli [sponsored by Indian National Congress] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Govt. P.G. Collage Gopeshwar.*

Date : 10-03-2022

Abhinav
(Shri Abhinav Shah)
Returning Officer
04-Badrinath
Legislative Assembly Constituency

आफिसर,
बद्रीनाथ /
चमोली